मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ. 5-4/2002/1/वे.आ.प्र. भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2002
5 अगस्त, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :— राज्य शासन के विभिन्न विभागों/स्थापनाओं के लिए दिनांक 31-12-1988 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना।

शासन के विभिन्न विभागों/स्थापनाओं में दिनांक 31-12-1988 अथवा उसके पूर्व से कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए राज्य शासन निम्नानुसार "स्वैच्छिक सेवामुक्ति" योजना लागू करता है :—

1. योजना का नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति :

1. यह योजना "मध्यप्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना 2002" कहलायेगी।

2. यह योजना इस ज्ञाप के जारी होने की तारीख से लागू होगी।

3. इस योजना के अन्यथा उपबंधों को छोड़कर, यह योजना राज्य शासन के विभिन्न विभागों/स्थापनाओं में दिनांक 31-12-1988 अथवा उसके पूर्व से कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को लागू होगी।

2. स्वैच्छिक सेवा मुक्ति योजना की शर्तें :

(1) दिनांक 31-12-1988 अथवा उसके पूर्व से कार्यरत कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मी बिना किसी आयु तथा अर्हकारी सेवा की सीमा की शर्त के स्वेच्छा से इस योजना का चयन कर सकता है।

(2) योजना का चयन करने वाले कर्मी को उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिये आवेदन देने पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 45 दिन की मजदूरी देय होगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक कर्मी के लिये रुपये 75,000/- होगी।

(3) इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिये नियुक्तिकर्ता अधिकारी सक्षम होंगे।

(4) नियुक्तिकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि, जो कर्मी ऐसे आवश्यक कार्य में लगा हो, जिसकी निरन्तरता आवश्यक है, उस कर्मी को स्वैच्छिक सेवामुक्ति देने से मना कर सके।

(5) स्वैच्छिक सेवा मुक्ति बावत् किसी दैनिक वेतन भोगी का आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा कि उस स्थापना में दैनिक वेतन भोगी की आवश्यकता है।